

इसे वेबसाईट www.govtressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मार्च 2024—फाल्गुन 21, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024

क्र. 4410-59-इकीस-अ(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 मार्च, 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ४ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४

[दिनांक १० मार्च, २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ११ मार्च, २०२४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम में सर्वत्र कठिपय शब्दों का स्थापन।

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में सर्वत्र, शब्द "कुलापति" या "कुलपति" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "कुलगुरु" स्थापित किए जाएँ।

प्रथम अनुसूची का संशोधन।

३. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, अनुक्रमांक ८ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएँ, अर्थात् :—

"९. पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (क्रमांक २८ सन् २०१६)."

द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

४. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

(१) भाग एक में,—

(एक) अनुक्रमांक ५ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएँ, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"५.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर तथा मऊगंज।";
(दो)	अनुक्रमांक ६ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएँ, अर्थात् :—		
अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"७.	पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल	शहडोल	शहडोल, उमरिया और अनूपपुर।".

(२) भाग दो में,—

(एक) अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
“१.	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना.”;

(दो) अनुक्रमांक २ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
“३.	रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर	सागर	सागर और दमोह.”.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024

क्र. 4410-59-इक्कीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 4 OF 2024

THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2024

[Received the assent of the Governor on the 10th March, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th March, 2024.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Substitution of certain words throughout the principal Act.

2. Throughout the Madhya Pradesh, Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Kulapati", or "Kulpati" wherever they occur, the word "Vice-Chancellor" shall be substituted.

Amendment of First Schedule.

3. In the First Schedule to the principal Act, after serial number 8, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

"9. Pandit S. N. Shukla Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2016 (No. 28 of 2016).".

Amendment of Second Schedule.

4. In the Second Schedule to the principal Act,—

(1) in Part I,—

(i) for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	Awadesh Pratap Singh Vishwavidyalaya, Rewa	Rewa	Rewa, Satna, Sidhi, Singroli Maihar and Mauganj.";

(ii) after serial number 6, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7.	Pandit Shambhu Nath Shukla Vishwavidyalaya, Shahdol.	Shahdol	Shahdol, Umaria and Anuppur.".

(2) in Part II,—

(i) for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya, Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur, Tikamgarh, Niwari and Panna.";

(ii) after serial number 2, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Rani Awantibai Lodhi Vishwavidyalaya, Sagar	Sagar	Sagar and Damoh".